रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 1987/भाद्र 25, 1909
No. 466] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 1987/BHADRA 25, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1987

अधिसूचना

का०आ० 829(अ):—राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, सिक्किम राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और आदेशों, के उपबंधों के अनुसार, राज्य

सभा में उस सदस्य का स्थान भरने के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 19 अक्तूबर 1987 को सेवानिवृत्त होगा, एक सदस्य को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं।

[फा०सं० 13(4)/87–विधायी–II]
स० रामय्या, सचिव

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(Legislative Department)
New Delhi, the 16th September, 1987

NOTIFICATION

S.O. 829(E).—In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Sikkim, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and the rules and orders made thereunder, a member for filling the seat of the member of the Council of States who would be retiring on the 19th October, 1987 on the expiration of his term of office.

[F. No. 13(4)/87-Leg. II]
S. RAMAIAH, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987